उत्तराखण्ड विधान सभा

उत्तराखण्ड विधान सभा
की कार्यसूची

शुक्रवार, 18 माघ, शक संवत्, 1935

(दिनांक : 07 फरवरी, 2014)

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाह्न

1. प्रश्न (देखिए नत्थी **"क"**)।

2. निधन के निदेश।

3. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।

4. श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा, ''जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम पंचायत मर्दसू के मजरे कोल की क्षतिग्रस्त पेयजल योजना के सम्बन्ध में'' श्री कलम सिंह नेगी, निवासी-ग्राम कोल, ग्राम सभा मर्दसू व पो0 मर्दसू, तहसील-विकासनगर, जनपद-देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

5. श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा, ''जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम सभा मर्दसू की क्षतिग्रस्त पेयजल योजना के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री चन्द्रपाल सिंह, निवासी-ग्राम मर्दसू, ग्राम व पो0 मर्दसू, तहसील-विकास नगर, जनपद-देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

6. श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा, ''जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम सभा लांघा तथा ग्राम सभा तौली भूड़ के क्षतिग्रस्त मार्ग के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री कमल सिंह, निवासी-ग्राम लांघा, ग्राम सभा व पो0 लांघा, तहसील-विकासनगर, जनपद-देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

7. श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा ''जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम सभा लांघा, ग्राम सभा तौली भूड़ के क्षतिग्रस्त 5 (6-7) कि0मी0 सम्पर्क मार्ग के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री कमल सिंह, निवासी-ग्राम लांघा, ग्राम सभा व पो0 लांघा, तहसील-विकासनगर, जनपद-देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

8. श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा ''जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम सभा कटापत्थर क्षतिग्रस्त पेयजल योजना के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री राजदीप भारद्वाज, निवासी ग्राम व पो0 कटापत्थर, तहसील-विकास नगर, जनपद-देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

9. श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा, ''जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम सभा लांघा, ग्राम सभा तौली भूड़ के क्षतिग्रस्त कि0मी0 5 (8-9) सम्पर्क मार्ग के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री कमल सिंह, निवासी-ग्राम लांघा, ग्राम सभा व पो0 लांघा, तहसील-विकासनगर जनपद-देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

10. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।

11. नियम 315 के खण्ड (13) व (14) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

12. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।

13. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।

14. निम्नलिखित संकल्प का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा :-

श्री मदन कौशिक ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में स्थानीय निकायों (नगर पंचायतों/नगर पालिकाओं/नगर निगमों) में कार्य पद्धति को सुदृढ़ बनाने हेतु स्थानीय निकायों के निर्वाचित सदस्यों/सभासदों/पार्षदों को सम्मिलित करते हुए एक कार्यशाला आयोजित की जाय'' **(15 मिनट)**

15. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर चर्चा जारीः- **(15 मिनट)**

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में घरेलू गैस की आपूर्ति में आ रही कठिनाई के कारण प्रदेश की जनता को हो रही परेशानी को दूर करने के लिए एक पारदर्शी नीति बनाई जाय।''

16. नियम- 105 के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा जारी :- **(15 मिनट)**

''यह माननीय सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तराखण्ड राज्य को ग्रीन बोनस दिया जाय।''

17. नियम- 105 के अन्तर्गत श्री नवप्रभात, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा जारी:- **(15 मिनट)**

> "यह माननीय सदन रेल मंत्रालय केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तराखण्ड राज्य, जनपद देहरादून के धर्मावाला नामक स्थान को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के निकटतम स्थान तक सीधे रेल मार्ग से जोड़ने के लिए एक नये रेल मार्ग की स्वीकृति दी जाय।"

18. श्री हेमेश खर्कवाल, श्री मयूख महर एवं श्री गणेश गोदियाल, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को नियम-54 के अन्तर्गत प्रस्तुत निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी :- **(15 मिनट)**

> "वनों को संरक्षित करना एवं सस्ते गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराना जनहित में अति आवश्यक है।"

19. श्री हरीश धामी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को नियम-54 के अन्तर्गत प्रस्तुत निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी :- **(15 मिनट)**

> "विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत कम ऊँचाई के क्षेत्र में मृग विहार बनने से ठप्प हो रहे विकास कार्य के दृष्टिगत मृग विहार बनाने के निर्णय पर पुर्नविचार किया जाय।"

20. नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

आज्ञा से,

देहरादून :

दिनांक : 06 फरवरी, 2014

(जगदीश चन्द्र)
सचिव।

प्रथम सत्र, 2014 का
प्रथम शुक्रवार

उत्तराखण्ड विधान सभा

की कार्यसूची

शुक्रवार, 18 माघ, शक संवत्, 1935

(दिनांक : 07 फरवरी, 2014)

नत्थी ''क''

उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 2005 के नियम 40 (2) के अन्तर्गत प्रथम सत्र 2014 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित स्थगित तारांकित प्रश्न

श्री गणेश जोशी 14.06.2013	*1. क्या शहरी विकास मंत्री अवगत हैं कि देहरादून जनपद की रिस्पना व बिन्दाल नदियों में बढ़ती गन्दगी से बीमारियां होने की आशंका है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार उपरोक्त नदियों की स्वच्छता के लिए कोई योजना बनाये जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	**शहरी विकास**
श्री नवप्रभात 02.01.2014	*2. **द्वितीय सत्र, 2013 के प्रथम शुक्रवार के अता0 प्रश्न संख्या 14 द्वारा उत्तरित होने के आधार पर निरस्त।** ''क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जवाहरलाल नेहरू अरबन रिन्यूवल मिशन (जे0एन0यू0आर0एम0) के अन्तर्गत प्रदेश में कितने शहर सम्मलित हैं ? क्या इस योजना के अन्तर्गत शहरों के सिटी डेवलपमेन्ट प्लान (सी0डी0पी0) विरचित किये गये थे ? यदि हां, तो शहरवार कितनी कितनी लागत की योजनायें सी0डी0पी0 में प्रस्तावित की गई थीं तथा क्या इन सी0डी0पी0 को अनुमोदन प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो कितनी लागत का इस प्राप्त अनुमोदन के सापेक्ष कितनी कितनी लागत की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अग्रसारित की गई ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि डी0पी0आर0 के सापेक्ष कितनी कितनी धनराशि की योजनायें स्वीकृत हुई तथा उनका पूर्ण विवरण क्या है तथा इस स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कितनी धनराशि वास्तव में व्यय की जा चुकी है ?''	**शहरी विकास**

अतारांकित प्रश्न

श्री आदेश चौहान
20.12.2013

1. क्या शहरी विकास मंत्री अवगत हैं कि हरिद्वार निगम के अन्तर्गत ज्वालापुर के क्षेत्र में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजनान्तर्गत नई पेयजल लाइने डालने का कार्य लगभग डेढ वर्ष पूर्व तक किया गया था तथा मानकों के अनुसार पेयजल लाईनें न डाले जाने के कारण अनेकों स्थानों पर उक्त लाइनें आये दिन फटती रहती हैं जिससे क्षेत्रीय नागरिकों को काफी असुविधा हो रही है ? यदि हां तो क्या सरकार कार्य की जांच करा कर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए उक्त लाइनें को ठीक करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शहरी विकास

श्री भीम लाल आर्य
31.12.2013

2. क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि "पशुपालन मंत्रालय भारत सरकार व नाबार्ड द्वारा संचालित छोटे रोमेन्थक एवं खरगोश से संबंधित समेकित भेड़ पालन योजना का संचालन किया जा रहा है ? क्या मंत्री जी अवगत हैं कि सीमान्त ग्रामीणों द्वारा भेड़ पालन व्यवसाय हेतु विभिन्न बैंको से ऋण लिया गया था जिस के सापेक्ष पशुपालन मंत्रालय भारत सरकार व नाबार्ड द्वारा 33.33 प्रतिशत अनुदान दिया जाना था जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है और भेड़ पालकों को ऋण चुकाने में अत्याधिक कठिनाई आ रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार पर्वतीय भेड़ पालक किसानों को ऋण के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान को शीघ्र प्रदान किये जाने हेतु कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पशुपालन

श्री भीमलाल आर्य
27.12.2013

3. क्या कारागार मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य के कारागारों में डिप्टी जेलरों के पद रिक्त पड़े हैं जिस कारण कारागारों में प्रशासनिक स्थिती ठीक नहीं है जिनकी शासनादेश के अनुसार 2 वर्ष पूर्व डिप्टी जेलर के पदों पर पदोन्नति हो जानी थी, नहीं हुई है ? क्या यह सत्य है कि इन पदों पर डी0पी0सी0 भी हो चुकी है लेकिन सरकार डिप्टी जेलरों के पदों पद पदोन्नति नहीं कर रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार पदोन्नति करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कारागार